क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व मध्य रेल, मुजफ्फरपुर

पाठ्य सामग्री (STUDY MATERIAL) - राजभाषा

दो शब्द

संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया और संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत इसके विकास एवं प्रचार-प्रसार का दायित्व केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया। तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी कामकाज हिन्दी में करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप कार्यालयों आदि में हिन्दी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत सभी वर्गों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाते हैं तथा विभागीय / प्रशिक्षणोपरान्त आयोजित परीक्षाओं में राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतएव प्रशिक्षणार्थियों के लिए राजभाषा विषय पर सरल एवं सहजग्राहय भाषा में अद्यतन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री का यह द्वितीय संस्करण तैयार किया गया है।

संभव है, हमारे प्रयासों एवं इस पाठ्य सामग्री में कहीं कुछ त्रुटियाँ भी हों। अतएव आग्रह है कि यदि कोई त्रुटि आपके ध्यान में आये तो कृपया उसे हमारे संज्ञान में लायें ताकि उसका सुधार किया जा सकें।

हम आभारी हैं आदरणीय प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं मुख्य यातायात योजना प्रबंधक पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के, जिनके प्रेरणा एवं उत्साहवर्द्धन से इस पाठ्य सामग्री को संस्थान के वेबसाइट के लिए तैयार करना संभव हो सका है। संस्थान सहकर्मियों एवं अनुदेशकों को कोटिशः धन्यवाद जिनके अथक परिश्रम से इस पाठ्य-सामग्री को प्रकाशित करना संभव हो सका है।

आशा है, यह पाठ्य सामग्री परीक्षाओं के लिए उपयोगी एवं रूचिकर सिद्ध होगी।

राजू कुमार (प्राचार्य)
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व मध्य रेल, मुजफ्फरपुर
Tel.-0621-2950474, 2245366 | Email - zrtiecrmfp@gmail.com

<u>विषय सूची</u>

- **संरक्षक:** राजू कुमार (प्राचार्य)
- **संकलनकर्ता:** वीरेन्द्र साहू (कनिष्ठ अनुवादक/हिन्दी)
- **सहयोग:** समस्त संस्थान कर्मचारी

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	राजभाषा हिन्दी	03
2.	संवैधानिक प्रावधान	03-07
3.	राजभाषा अधिनियम, 1963	07-10
4.	राजभाषा नियम, 1976	10-13
5.	प्रोत्साहन / पुरस्कार योजनाएँ	14-20

1. राजभाषा हिन्दी

किसी भी संप्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के लिए एक राजभाषा का होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जानेवाली भाषा को शिक्षा, पत्रकारिता और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान मिले। इसी उद्देश्य से संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया।

भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल नौ अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाओं, न्यायालयों एवं विधेयकों, अधिनियमों में प्रयोग की जानेवाली भाषा, राजभाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित प्रावधान व्यवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त संविधान के भाग-5 में अनुच्छेद 120 पर संसद में प्रयोग की जानेवाली भाषा तथा भाग-6 में अनुच्छेद 210 पर विधान मंडलों में प्रयोग की जानेवाली भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित किए गए हैं।

2. राजभाषा विषयक संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा: संघ की राजभाषा हिन्दी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जानेवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

- इसी अनुच्छेद के दूसरे खण्ड में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा, किन्तु इस अवधि में राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकेंगे।
- इस अनुच्छेद के तीसरे खण्ड में यह व्यवस्था की गई है कि उक्त 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग कर सकेगी।

अनुच्छेद 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति:

1. संविधान के लागू होने के पाँच वर्ष की समाप्ति पर और फिर दस वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेंगे जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे।
2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग, अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित प्रयोजनों में प्रयोग की जानेवाली भाषा, अंकों के रूप तथा केंद्रीय सरकार तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्र व्यवहार की भाषा और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश करे।
3. अपनी सिफारिश करने के दौरान आयोग द्वारा भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के हितों और न्याय संगत दावों का ध्यान रखा जाएगा।
4. आयोग द्वारा सौंपी गई सिफारिशों की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें तीस सदस्य होंगे - 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के जो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगी, जिस पर वे आवश्यक विचार करके उस सम्पूर्ण रिपोर्ट या उसके किसी भाग के अनुसार आदेश जारी करेंगे।

अनुच्छेद 345 - राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ: किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होनेवाली भाषाओं में से किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा या भाषाओं के रूप में स्वीकार कर सकेगा। किन्तु जब तक राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा।

अनुच्छेद 346 - एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा: संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रयोग में लायी जानेवाली भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य and संघ के बीच पत्राचार का माध्यम होगी, परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उनके बीच पत्राचार के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो उनके बीच पत्राचार की भाषा हिन्दी होगी।

अनुच्छेद 347 - किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान: यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जानेवाली भाषा को उस राज्य द्वारा

मान्यता दी जाए, तो वे निर्देश दे सकेंगे कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वे निर्दिष्ट करें, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348 - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जानेवाली भाषा:

जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न करें, तब तक —

1. (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। (ख) संसद अथवा राज्य के विधान मंडलों में पेश किए जानेवाले सभी विधेयकों तथा प्रस्तावित किए जानेवाले उनके संशोधनों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। संसद या विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए जानेवाले अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। यही बात आदेशों, नियमों, विनियमों पर भी लागू होगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिन्दी भाषा या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग में लायी जानेवाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे परंतु यह बात उस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी।
3. जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल में प्रस्तुत किए गए विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश अथवा उस राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम में अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा प्रयोग की गई है, वहाँ उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाएगा और उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और वही उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

अनुच्छेद 349 - भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने हेतु विशेष प्रक्रिया: संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348(1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के संबंध में कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति भी अपनी मंजूरी अनुच्छेद 344(1) के अधीन गठित आयोग और 344(4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही देंगे, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 350 - व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जानेवाली भाषा: प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350(क) - प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं: प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वे ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझते हैं।

अनुच्छेद 350(ख) - भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी:

- भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे।
- विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर, जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवायेंगे।

अनुच्छेद 351 - हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अनुच्छेद-120 - संसद में प्रयुक्त होनेवाली भाषा: अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परन्तु लोकसभा का अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करनेवाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने से अनुमति दे सकेगा। जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न करें, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा, मानो 'या अंग्रेजी में' शब्द उसमें से विलुप्त कर दिए गए हों।

अनुच्छेद 210 - राज्य के विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा: अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। जब तक राज्य विधान मंडल विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न करें

तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेजी में' शब्द उसमें से विलुप्त कर दिए गए हों। परंतु, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, और त्रिपुरा के संबंध में यह ऐसे प्रभावी होगा मानो 15 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। (यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं है।)

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ (अनुच्छेद 344(1) एवं 351)

1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मलयालम 12. मराठी 13. संस्कृत 14. सिन्धी 15. हिन्दी 16. नेपाली 17. कोंकणी 18. मणिपुरी 19. मैथिली 20. संथाली 21. डोगरी 22. बोडो

नोट: मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिन्धी भाषा, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 के जनवरी माह में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाएं जोड़ी गईं।

3. राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967)

संविधान के अनुच्छेद 343 (3) पर किए गए प्रावधानों के अनुसार 10 मई 1963 को राजभाषा के संबंध में अधिनियम पारित किया गया जो "राजभाषा अधिनियम, 1963" के नाम से प्रतिष्ठित है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- **धारा 1 (संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ):** यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 के नाम से जाना जाएगा और अधिनियम की धारा-3 दिनांक 26.01.1965 को लागू होगी जबकि अन्य प्रावधान अधिसूचनाओं द्वारा जारी तिथियों से लागू होंगे। विभिन्न प्रावधानों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी।
- **धारा 2 (परिभाषाएँ):** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नियत दिन से तात्पर्य धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन है और किसी अन्य प्रावधान के सबंध में उस दिन से है जिस दिन वह प्रावधान लागू होता है। हिन्दी से तात्पर्य है वह हिन्दी जिसकी लिपि देवनागरी हो।
- **धारा 3 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना):**
  - **3(1)** संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी नियत दिन से ही संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए तथा संसद में कार्य-निष्पादन के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लायी जाती रहेगी। संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच,

जिसने हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्राचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लायी जाएगी, किन्तु किसी ऐसे राज्य, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, के बीच पत्राचार आदि के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ हिन्दी के साथ-साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। किन्तु, इस उपधारा का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ या किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्राचार आदि के लिए हिन्दी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे मामले में उस राज्य के साथ पत्राचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

- **3(2)** केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच या केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच या ऐसे किसी निगम, कम्पनी या कार्यालय और किसी अन्य ऐसे निगम, कम्पनी या कार्यालय के बीच पत्राचार आदि के लिए, जहाँ हिन्दी या अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लायी जाती है वहाँ उस तारीख तक, जब तक उपर्युक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कम्पनी के कर्मचारीगण हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ऐसे पत्र आदि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

- **3(3)** केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम, कम्पनी या कार्यालय द्वारा जारी किए जानेवाले निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं (द्विभाषी) में जारी किए जाएंगे - **संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जानेवाले प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञापत्र (परमिट), निविदा सूचना, निविदा प्ररूप (टेंडर फार्म) तथा अन्य सरकारी कागजात।**

- **3(4)** केन्द्रीय सरकार धारा-8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का प्रावधान कर सकेगी, जिसे या जिन्हें शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाना है।

- **3(5)** धारा 3 की उप धाराओं के प्रावधान तब तक लागू रहेंगे, जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक उक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

- **धारा 4 (राजभाषा के संबंध में समिति):** धारा 3 के लागू होने के दस वर्ष बाद (अर्थात 26 जनवरी, 1965 के बाद) राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में तीस सदस्य होंगे, जिसमें से बीस लोकसभा के तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा और राज्य के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में की गई हिन्दी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे। राष्ट्रपति उक्त रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भेजेंगे तथा उनसे प्राप्त अभिमत को ध्यान में रखते हुए निदेश जारी करेंगे, किन्तु ऐसे निदेश धारा-3 से असंगत नहीं होंगे।
- **धारा 5 (केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद):**

1. नियत दिन को ही या उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी केंद्रीय अधिनियम या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अथवा संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी आदेश या नियम का हिन्दी अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

   नियत दिन से ही संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत या प्रस्तावित किए जानेवाले सभी विधेयकों और संशोधनों का हिन्दी में अनुवाद किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन विहित नियमों द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

धारा 6 (कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद): जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा प्रयोग में लायी गई है, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348(3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिन्दी अनुवाद उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को ही या उसके पश्चात प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी स्थिति में हिन्दी अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

धारा 7 (उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग): नियत दिन से ही या उसके बाद किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेशों के प्रयोजनार्थ, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, किन्तु जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में पारित किया जाता है, वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया उसका अंग्रेजी अनुवाद भी होगा।

धारा 8 (नियम बनाने की शक्ति): केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। इस धारा के अधीन

बनाया गया हर नियम, बनाये जाने के तत्काल बाद, संसद के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक, दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि पश्चातवर्ती सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा, किन्तु यदि दोनों सदन सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 9: धारा-6 और धारा-7 के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 1123(अ), तारीख 18-3-2020] तथा लद्दाख पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का. आ. 3774 (अ) तारीख 23-10-2020] द्वारा **लोप किया गया।**

4. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 एवं 2011)

शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी को प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाए जाने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1976 में, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा-4 के साथ पठित धारा-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाये:

- **नियम 1 (संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ):** इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत पर है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- **नियम 2 (क्षेत्रों का विभाजन):** इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे भारत को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
    - **"क" क्षेत्र:** इस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है, जिनकी राजभाषा हिन्दी है, जैसे - बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड राज्य तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
    - **"ख" क्षेत्र:** इस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है, जिनकी राजभाषा हिन्दी नहीं है, फिर भी, जिन्होंने केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी में भी पत्र-व्यवहार करने का निर्णय लिया है। ये राज्य हैं - गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण व दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र।

- **"ग" क्षेत्र:** इस क्षेत्र में उन राज्यों को शामिल किया गया है, जिनकी राजभाषा हिन्दी नहीं है और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया है। इस क्षेत्र में 'क' क्षेत्र तथा 'ख' क्षेत्र में शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा देश के अन्य सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

- **नियम 3 (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से राज्य सरकार और उसके कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार):**

- केंद्रीय सरकार के कार्यालय से 'क' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों या उनके किसी कार्यालय (गैर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय) या किसी व्यक्ति को भेजे जानेवाले पत्र आदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

- केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य सरकार या उसके किसी कार्यालय को पत्र आदि सामान्यतया हिन्दी में भेजे जाएंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा, परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट कोटि के पत्र संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो पत्र आदि उसी रीति से भेजे जाएँगे।

- केंन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या कार्यालय (गैर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय) या व्यक्ति को भेजे जानेवाले पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

- 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय से 'क' क्षेत्र या 'ख' क्षेत्र में स्थित राज्य या संघ राज्य सरकारों या उनके किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्र हिन्दी में या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं, किन्तु ऐसे पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में होंगे।

- **नियम 4 (केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार):**

- केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।

- केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित उनके संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिन्दी या अंग्रेजी में किए जाएंगे। 'क' क्षेत्र में स्थित अन्य सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी में होंगे।

- 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में होंगे, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा

समय-समय पर निर्धारित अनुपात में होंगे। 'ख' या 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परन्तु ये पत्र-व्यवहार ऐसे अनुपात में होंगे, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, किन्तु 'ग' क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को छोड़ कर 'ग' क्षेत्र के अन्य कार्यालयों को संबोधित हिन्दी पत्रों के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

- **नियम 5 (हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना):** किसी भी क्षेत्र से हिन्दी में प्राप्त होनेवाले पत्रों के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएँगे।

- **नियम 6 (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग):** राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में (द्विभाषी) जारी किए जाएँगे और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे कागजात द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं।

- **नियम 7 (आवेदन, अभ्यावेदन आदि की भाषा):**
  - कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकता है।
  - यदि किसी कर्मचारी द्वारा कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में दिया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किया गया हो, तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
- यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी मामलों (जिसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) में उसे दी जानेवाली सूचना या आदेश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिये जाएँ, तो वह उसे उसी भाषा में दी जाएगी।

- **नियम 8 (टिप्पणी, प्रारूप आदि की भाषा):**
  - कोई भी कर्मचारी किसी मिसिल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे दूसरी भाषा में उसका अनुवाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कोई भी कर्मचारी किसी दस्तावेज़ के अंग्रेज़ी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है जब वह विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो अन्यथा नहीं। किसी दस्तावेज़ के विधिक या तकनीकी होने का विनिश्चय विभाग या कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा किया जाएगा।
  - उप नियम (1) के प्रावधान के बावजूद केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा टिप्पण, प्रारूपण और आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य प्रशासनिक कार्य केवल हिन्दी में किए जाएँगे।

- **नियम 9 (हिन्दी में प्रवीणता):** यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक अथवा उसके

समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, या वह इन नियमों से संबंधित प्रपत्र (फार्म) पर यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी है।

- **नियम 10 (हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान):**
  - यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जानेवाली प्राज्ञ की परीक्षा या किसी विशेष वर्ग के लिए ली जानेवाली निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यह इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र (फार्म) पर यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसे हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा।
  - यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे, परंतु यदि किसी तारीख से हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले कर्मचारियों की संख्या 80 प्रतिशत से कम हो जाती है तो पुनः राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

- **नियम 11 (मैनुअल, कोड, लेखन-सामग्री आदि की भाषा):** केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैनुअल, कोड और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में, यथास्थिति, द्विभाषी मुद्रित किए जाएँगे। कार्यालय में प्रयोग में लाये जानेवाले फार्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्र शीर्ष तथा लेखन सामग्री आदि की अन्य मदें द्विभाषी होंगे। किन्तु, आवश्यक होने पर सभी या कुछ मदों में छूट दी जा सकती है।

- **नियम 12 (अनुपालन का उत्तरदायित्व):** केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करवाये तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी उपाय करे। केन्द्रीय सरकार राजभाषा अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों एवं कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

5. प्रोत्साहन / पुरस्कार योजनाएँ (रेल मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय)

क. रेल मंत्रालय की योजनाएँ

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	विवरण / पात्रता	पुरस्कार राशि / शील्ड / ट्राफी
1	कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक	हिन्दी के प्रयोग-प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिए रेलों / उत्पादन कारखानों के महाप्रबंधकों के लिए।	स्वर्ण पदक + ₹10,000/- नकद तथा प्रशस्ति पत्र (01 पुरस्कार)
2	रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक	हिन्दी के प्रयोग प्रसार में अनुकरणीय योगदान के लिये HAG एवं SG ग्रेड के अधिकारियों के लिए।	रजत पदक + ₹8,000/- नकद तथा प्रशस्ति पत्र (30 पुरस्कार)
3	रेल मंत्री राजभाषा शील्ड / ट्राफी तथा अन्य वैजयंतियाँ	**3.1 'क' एवं 'ख' क्षेत्र** में स्थित रेलवे मुख्यालयों के लिए	**प्रथम:** रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड **द्वितीय:** रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्राफी
		3.2 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित आदर्श मंडलों के लिए	आचार्य महावीर प्रसाद चल वैजयंती (एक पुरस्कार)
		3.3 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में स्थित आदर्श स्टेशन/कार्यालय/वर्कशाप के लिए	रेल मंत्री राजभाषा शील्ड + ₹14,000/- नकद
		3.4 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में स्थित उत्पादन इकाइयों के लिए	**प्रथम:** रेल मंत्री राजभाषा शील्ड **द्वितीय:** शिव सागर मिश्रा चल वैजयंती
		3.5 'ग' क्षेत्र में स्थित रेलों के लिए	**प्रथम:** रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड **द्वितीय:** रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्राफी
		3.6 'ग' क्षेत्र में स्थित आदर्श मंडलों के लिए	आचार्य रघुवीर प्रसाद चल वैजयंती (एक पुरस्कार)
		3.7 'ग' क्षेत्रों में स्थित आदर्श स्टेशन/कार्यालय/वर्कशाप के लिए	रेल मंत्री राजभाषा शील्ड + ₹14,000/- नकद
		3.8 'ग' क्षेत्र में स्थित उत्पादन इकाइयों के लिए	**प्रथम:** रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड **द्वितीय:** रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्राफी (एक पुरस्कार)

4	लालबहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना	रेलकर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु (गैर रेलवे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं)।	**प्रथम पुरस्कार:** ₹20,000/- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹10,000/- **तृतीय पुरस्कार:** ₹7,000/-
5	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना	रेलकर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।	**प्रथम पुरस्कार:** ₹20,000/- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹10,000/- **तृतीय पुरस्कार:** ₹7,000/-
6	प्रेमचन्द पुरस्कार योजना	रेलकर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा एवं अभिरुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से।	**प्रथम पुरस्कार:** ₹20,000/- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹10,000/- **तृतीय पुरस्कार:** ₹7,000/-
7	राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना	सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक एवं प्रशंसनीय प्रयोग करने के लिए (प्रत्येक रेल के लिए कोटा निर्धारित)।	₹3,000/- के कुल 134 पुरस्कार
8	रेलमंत्री हिन्दी निबंध प्रतियोगिता	रेल प्रबंधन और संचालन से संबंधित विषयों पर अधिक से अधिक निबंध हिन्दी में प्राप्त हो सकें।	**राजपत्रित वर्ग के लिए:** प्रथम: ₹6,000/-, द्वितीय: ₹4,000/- **अराजपत्रित वर्ग के लिए:** प्रथम: ₹6,000/-, द्वितीय: ₹4,000/-
9	राजभाषा सामूहिक पुरस्कार योजना	हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करनेवाले विभागों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से।	**प्रथम पुरस्कार:** ₹12,000/- (6 कर्मियों में समान वितरण) **द्वितीय पुरस्कार:** ₹8,000/- (5 कर्मियों में समान वितरण) **तृतीय पुरस्कार:** ₹6,000/- (5 कर्मियों में समान वितरण)
10	अखिल रेल हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता	क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ही अखिल रेल स्तर पर भाग ले सकते हैं।	**क्षेत्रीय स्तर पर:** प्रथम: ₹2,000/-, द्वितीय: ₹1,600/-, तृतीय: ₹1,200/-, सांत्वना: ₹800/- (3 को) **अखिल रेल स्तर पर:** प्रथम: ₹5,000/-, द्वितीय: ₹4,000/-, तृतीय: ₹3,000/-, सांत्वना: ₹2,500/- (5 को)
11	अखिल रेल हिन्दी निबंध प्रतियोगिता	सर्वप्रथम क्षेत्रीय स्तर पर, तत्पश्चात अखिल रेल स्तर पर आयोजन।	**क्षेत्रीय स्तर पर:** प्रथम: ₹2,000/-, द्वितीय: ₹1,600/-, तृतीय: ₹1,200/-, सांत्वना: ₹800/- (3 को)

			अखिल रेल स्तर पर: प्रथम: ₹5,000/-, द्वितीय: ₹4,000/-, तृतीय: ₹3,000/-, सांत्वना: ₹2,500/- (5 को)
12	अखिल रेल हिन्दी वाक प्रतियोगिता	सर्वप्रथम क्षेत्रीय स्तर पर, तत्पश्चात अखिल रेल स्तर पर आयोजन।	**क्षेत्रीय स्तर पर:** प्रथम: ₹2,000/-, द्वितीय: ₹1,600/-, तृतीय: ₹1,200/-, सांत्वना: ₹800/- (3 को) **अखिल रेल स्तर पर:** प्रथम: ₹5,000/-, द्वितीय: ₹4,000/-, तृतीय: ₹3,000/-, सांत्वना: ₹2,500/- (5 को)
13	रेलयात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना	सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं। वृतांत कम से कम 3000 शब्दों का होना चाहिए।	**प्रथम पुरस्कार:** ₹10,000/- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹8,000/- **तृतीय पुरस्कार:** ₹6,000/- **प्रेरणा पुरस्कार (5):** ₹4,000/- प्रत्येक एवं प्रशस्ति पत्र

ख. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की योजनाएँ

1. राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना (केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए)

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए गौरव पुरस्कार योजना (केवल केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए, सेवानिवृत्त सहित):

- **प्रथम पुरस्कार:** ₹1,00,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न
- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹75,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न
- **तृतीय पुरस्कार:** ₹60,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न
- **सांत्वना पुरस्कार:** ₹30,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न

2.1 उत्कृष्ट लेख संबंधी गौरव पुरस्कार योजना

- **हिंदी भाषी कार्मिकों हेतु:** प्रथम पुरस्कार: ₹20,000/-, द्वितीय पुरस्कार: ₹18,000/-, तृतीय पुरस्कार: ₹15,000/-
- **अहिंदी भाषी कार्मिकों हेतु:** प्रथम पुरस्कार: ₹25,000/-, द्वितीय पुरस्कार: ₹22,000/-, तृतीय पुरस्कार: ₹20,000/-

- **2.2 राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना (आधुनिक तकनीकी/विज्ञान पुस्तक लेखन)**

आधुनिक तकनीकी / विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक रूप से उच्च स्तरीय पुस्तक लेखन के लिए (**देश का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है**):

- **प्रथम पुरस्कार:** ₹2,00,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न
- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹1,25,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न
- **तृतीय पुरस्कार:** ₹75,000/- प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न
- **प्रेरणा (सांत्वना) पुरस्कार:** ₹10,000/- प्रत्येक (10 व्यक्तियों को) प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिह्न

3. हिन्दी डिक्टेशन पुरस्कार योजना

हिन्दी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से:

- **हिन्दी भाषी अधिकारियों को:** वर्ष में 20 हजार शब्दों का हिन्दी में डिक्टेशन देने पर **₹5,000/-**
- **अहिन्दी भाषी अधिकारियों को:** वर्ष में 10 हजार शब्दों का हिन्दी में डिक्टेशन देने पर **₹5,000/-**

- **4. सरकारी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में करने के लिए पुरस्कार योजना**

इस योजना में 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में कम से कम 10 हजार शब्द मूल रूप से टिप्पण और प्रारूप आदि के रूप में लिखने पर (प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए):

- **प्रथम पुरस्कार:** ₹5,000/- (2 व्यक्तियों को प्रत्येक के लिए)
- **द्वितीय पुरस्कार:** ₹3,000/- (3 व्यक्तियों को प्रत्येक के लिए)
- **तृतीय पुरस्कार:** ₹2,000/- (5 व्यक्तियों को प्रत्येक के लिए)

5. टंककों, आशुलिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना

ऐसे टंककों/आशुलिपिकों को, जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा 05 पत्र/टिप्पणियाँ प्रतिदिन अथवा 300 पत्र/प्रारूप/टिप्पणियाँ प्रति तिमाही में टाईप करते हैं:

- **टंकक:** ₹160/- प्रति माह
- **आशुलिपिक:** ₹240/- प्रति माह

ग. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि)

•

1. वैयक्तिक वेतन- हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1)
तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा प्रवर लेखा परीक्षक, जिनके लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है पर उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएँ इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)]

तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

(ङ) हिंदी आशुलिपि- (i) अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिकों को 50% या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/08/2017-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 01-10-2025

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)

(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे ।

नकद पुरस्कार- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) प्रबोध

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	4000/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	2000/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1000/-

(2) प्रवीण

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	4500/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	3000/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1500/-

(3) प्राज्ञ

1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	6000/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	4000/-

3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	2000/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	6000/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	4000/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	2000/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	6000/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	4000/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	2000/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	3500/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	4000/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	6000/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा	4000/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	7500/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/25/2024-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 01.7.2025)

टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।
2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।
3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एक मुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(का0ज्ञा0सं0- 21034/25/2024-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 01.7.2025)